

एनसीआर क्षेत्र में लग्जरी कारों से मादक पदार्थ तस्करी करने वाले गिरोह के गैंग लीडर सहित 04 तस्कर गिरफ्तार, 60 पेटी शराब (कुल-2280 पौवा) अंग्रेजी शराब (विभिन्न ब्रांड) व 2.5 किलो गांजा तथा घटनाओं में प्रयुक्त 03 लग्जरी कारें बरामद:- थाना इंदिरापुरम पुलिस व काईम ब्रांच गाजियाबाद टीम द्वारा शराब माफियाओं के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान में चेंकिंग के दौरान दिनांक 09.05.19 को हिण्डन बैराज के पास से 04 शातिर तस्करों को 60 पेटी अवैध शराब व 2.5 किलोग्राम अवैध गांजा व घटना में प्रयुक्त 03 लग्जरी कारों सहित गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

- 1:- मन्नू यादव पुत्र राजेन्द्र यादव निवसी म0न0-170<sup>जी</sup> न्यायखंड-2 थाना इंदिरापुरम जनपद गाजियाबाद। (गैंग लीडर)
- 2:- अंशुल पुत्र प्रवेश सिंह निवासी म0न0-170<sup>जी</sup> न्यायखंड-2 थाना इंदिरापुरम जनपद गाजियाबाद।
- 3:- मुकेश पुत्र शिवस्वरुप निवासी आरसी-151 दीपक विहार खोडा कालोनी थाना खोडा जनपद गाजियाबाद।
- 4:- शक्ति पुत्र सुम्मेर सिंह निवासी आर-214 राजनगर-2 गली न0-4 पालम कालोनी नई दिल्ली।

फरार अभियुक्त:-

- 5:- अंकित पुत्र प्रवेश सिंह निवासी म0न0-170<sup>जी</sup> न्यायखंड-2 थाना इंदिरापुरम जनपद गाजियाबाद।

पूर्व में थाना इंदिरापुरम क्षेत्र से दो लग्जरी कारे मय शराब के पकडी गयी थी जिसमें अभियुक्त मन्नू मौके से फरार हो गया था जिसके सम्बंध में थाना इंदिरापुरम पर अभियुक्त के विरुद्ध अ0स0-716/19, अ0स0-781/19, अ0स0-877/19 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत है। अभियुक्त मन्नू यादव तभी से वाछित चल रहा था।

अभियुक्त मन्नू यादव उक्त गैंग का सरगना है अभियुक्तगण शातिर किस्म के तस्कर है जो हरियाणा व अरुणाचल प्रदेश से सस्ती शराब खरीदकर उत्तर प्रदेश में सप्लाई करने का कार्य काफी दिनों से कर रहे है तथा उत्तर प्रदेश राज्य के राजस्व को भारी छति पहुंचा रहे हैं। अभियुक्तगणों के अपराधिक इतिहास व अन्य साथियों के सम्बंध में गहनता से पूछताछ की जा रही है।

**अभियुक्त मन्नु यादव का अपराधिक इतिहास:-**

क्र०स०	मु०अ०स०	धारा	थाना	जनपद
01	716 / 19	60 / 63 आबकारी अधिनियम	इंदिरापुरम	गाजियाबाद
02	781 / 19	60 / 63 आबकारी अधिनियम	इंदिरापुरम	गाजियाबाद
03	877 / 19	60 / 63 आबकारी अधिनियम	इंदिरापुरम	गाजियाबाद
04	1038 / 19	8 / 20 / 27 / 52 एनडीपीएस एक्ट	इंदिरापुरम	गाजियाबाद

**अभियुक्त अंशुल का अपराधिक इतिहास:-**

क्र०स०	मु०अ०स०	धारा	थाना	जनपद
01	877 / 19	60 / 63 आबकारी अधिनियम	इंदिरापुरम	गाजियाबाद
02	1039 / 19	60 / 63 आबकारी अधिनियम	इंदिरापुरम	गाजियाबाद

**अभियुक्त मुकेश का अपराधिक इतिहास:-**

क्र०स०	मु०अ०स०	धारा	थाना	जनपद
01	877 / 19	60 / 63 आबकारी अधिनियम	इंदिरापुरम	गाजियाबाद
02	1040 / 19	8 / 20 / 27 / 52 एनडीपीएस एक्ट	इंदिरापुरम	गाजियाबाद
03	1041 / 19	60 / 63 आबकारी अधिनियम	इंदिरापुरम	गाजियाबाद

**अभियुक्त शक्ति का अपराधिक इतिहास:-**

क्र०स०	मु०अ०स०	धारा	थाना	जनपद
01	1042 / 19	60 / 63 आबकारी अधिनियम	इंदिरापुरम	गाजियाबाद

**अभियुक्तगणों से बरामदगी का विवरण:-**

- 1:- 01 आई-20 कार न०-UP14DQ-7948
- 2:- 01 महेन्द्रा लोगान कार न०-DL4CNB-1802
- 3:- 01 सैन्ट्रो कार न०-DL3CAP-3125
- 4:- 60 पेटी शराब- कुल 2280 पौवे
- 5:- 2.5 किलोग्राम गांजा

**एनसीआर क्षेत्र में आन डिमांड दोपहिया वाहन चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 1000 से अधिक दोपहिया वाहन चोरी करने वाला 01 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, चोरी की 08 मोटर साईकिल व 05 स्कूटी तथा वाहन चोरी करने के उपकरण बरामद:-** थाना इंदिरापुरम पुलिस द्वारा वाहन चोरी की घटनाओं का परीशीलन कर तत्परता से कार्यवाही करते हुए दिनांक 09.05.2019 को सेक्टर-2/5 वैशाली की पुलिस के पास से 01 शातिर वाहन चोर को चोरी की गयी 01 स्कूटी व वाहन चोरी के उपकरणों सहित गिरफ्तार किया है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-**

1:- मौहम्मद शाहिद पुत्र मौहम्मद मुस्तफा निवासी किदवई नगर मिन्नी मस्जिद गली न0-2 म0न0-933 थाना लिसाडी गेट जिला मेरठ।

### अभियुक्त का अपराध करने का तरीका:-

अभियुक्तगण उपरोक्त शातिर किस्म का दो-पहिया वाहन चोर है जो आन डिमांड दो पहिया वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम देता है जो अपने गैंग के अन्य सदस्यों के साथ मेरठ से आकर एनसीआर क्षेत्र में घूम-घूमकर रैकी कर दो पहिया वाहनों को अपना निशाना बनाते हैं तथा मौका देखकर अपने चोरी करने वाले उपकरणों का प्रयोग कर वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम देते हैं तथा चोरी किये गये वाहनों को आसपास के अन्य क्षेत्रों व पार्किंगों में छुपा देते हैं अभियुक्तगण बहुत ही शातिर किस्म के वाहन चोर है जो एक ही दिन में 06-08 दोपहिया वाहन चोरी करते हैं तथा मौका देखकर अपने गैंग के सदस्यों की सहायता से चोरी किये गये वाहनों को सोतीगंज मेरठ ले जाकर 08 हजार से 10 हजार प्रति वाहन की कीमत से अपने फिक्स कबाडियों को बेच देते हैं तथा कबाडी वाहन को रिसिव करते ही तुरंत अपने गोदाम में वाहनो को कटवा देते हैं तथा उनके पार्टस को बाजार में ऊचे दामों पर बेच देते हैं तथा ईजन व चैचिस नम्बर को ग्राईडर के माध्यम से घिसकर समाप्त कर देते हैं इस कारण चोरी किये गये वाहन पकड में नहीं आते हैं। अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि उसने अपने गैंग के साथ मिलकर 500 से अधिक दो पहिया वाहन चोरी किये हैं। अभियुक्त करीब 09-10 वर्ष से दो पहिया वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा हैं। अभियुक्त के गैंग के अन्य साथी चोरों व सोतीगंज के रिसीवरों/कबाडियों के लिए टीम बनाकर दबिश व गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु भरसक प्रयास किये जा रहे हैं तथा अभियुक्तगणों के अपराधिक इतिहास के बारे में भी जानकारी की जा रही हैं।

### बरामद वाहनों का विवरण:-

- |   |  |
|---|--|
| 1:-एक स्पलेंडर प्लस मोटर साईकिल न0-HR22H-2136       | (अ0स0-44725/18 धारा 379 भादवि थाना काईम ब्रांच दिल्ली) |
| 2:-एक होण्डा एक्टिवा स्कूटी न0-UP21AJ-5505          | (अ0स0-592/19 धारा 379 भादवि थाना इंदिरापुरम गाजियाबाद) |
| 3:-एक सुजुकी स्कूटी न0-DL8SBM-2861                  | (अ0स0-591/19 धारा 379 भादवि थाना इंदिरापुरम गाजियाबाद) |
| 4:-एक होण्डा एक्टिवा स्कूटी न0-DL3SBM-7253          | (अ0स0-15801/19 धारा 379 भादवि थाना काईम ब्रांच दिल्ली) |
| 5:-एक होण्डा एक्टिवा स्कूटी न0-DL5SAC-1173          | (अ0स0-102/13 धारा 379 भादवि थाना सीमापुरी दिल्ली)      |
| 6:-एक स्पलेंडर मोटर साईकिल न0-HR43A-1528            | (अ0स0-198/11 धारा 379 भादवि थाना कोसली रेवाडी हरियाणा) |
| 7:-एक अपाची मोटर साईकिल न0-UP15BS-4713              | (अ0स0-29/17 धारा 379 भादवि थाना मेडीकल जिला मेरठ)      |
| 8:-एक सीडी डाउन मोटर साईकिल न0-DL7SAC-9668          |  |
| 9:-एक पल्सर मोटर साईकिल न0-DL7SBP-8150              |  |
| 10:-एक पल्सर मोटर साईकिल न0-UP81BB-1574             |  |
| 11:-एक प्लेटिना मोटर साईकिल न0-DL7SBA-1762          |  |
| 12:-एक टीवीएस स्टार सिटी मोटर साईकिल न0-DL4SBB-8665 |  |
| 13:-एक टीवीएस विगो स्कूटी न0-UP15BS-4713            |  |

### अभियुक्त मौहम्मद शाहिद का अपराधिक इतिहास:-

क0 स0	अ0स0	धारा	थाना	जनपद
1	44725/18	379/411 भादवि	काईम ब्रांच	दिल्ली

2	592 / 19	379 / 411 भादवि	इंदिरापुरम	गाजियाबाद
3	591 / 19	379 / 411 भादवि	इंदिरापुरम	गाजियाबाद
4	15801 / 19	379 / 411 भादवि	क्राईम ब्रांच	दिल्ली
5	102 / 13	379 / 411 भादवि	सीमापुरी	दिल्ली
6	198 / 11	379 / 411 भादवि	कोसली रेवाडी	हरियाणा
7	29 / 17	379 / 411 भादवि	मेडिकल	मेरठ
8	308 / 16	25 / 4 आर्म्स एक्ट	लालकुर्ती	मेरठ
9	309 / 16	411 / 414 भादवि	लालकुर्ती	मेरठ
10	1043 / 19	411 / 414 भादवि	इंदिरापुरम	गाजियाबाद

**एनसीआर क्षेत्र में गन प्वाइंट पर लूटपाट करने वाले गिरोह के 03 शातिर लूटेरे गिरफ्तार, कब्जे से लूटे गये 02 मोबाईल फोन, 01 लिनेवों टैब तथा घटनाओं में प्रयुक्त डिस्कवर बाईक बरामदः—** थाना इंदिरापुरम पुलिस ने दिनांक 09.05.2019 को सैन्ट्रल पार्क से 03 शातिर लूटेरो को लूटे गये 02 मोबाईल फोन, एक लिनेवो टैब तथा घटनाओं में प्रयुक्त डिस्कवर मोटर साईकिल सहित गिरफ्तार किया है।

**गिरफ्तार अपराधियों के नाम व पतेः—**

- 1:— प्रान सिंह पुत्र महेश सिंह निवासी शनि चौक शक्तिखंड-3 थाना इंदिरापुरम जनपद गाजियाबाद।
- 2:— संजीत कुमार पुत्र रंजीत मेहरा निवासी सेक्टर-1 वैशाली थाना इंदिरापुरम जनपद गाजियाबाद।
- 3:— रिहान खान पुत्र रिजवान खान निवासी गाजीपुर मण्डी थाना गाजीपुर दिल्ली।

**अभियुक्तगणों का अपराध करने का तरीकाः—**

अभियुक्तगण शातिर किस्म के लूटेरे है जो चोरी किये गये वाहनों से लूटपाट की घटनाओं को अजाम देते हैं तथा उक्त गैंग के सदस्यों को एनसीआर क्षेत्र की अच्छी जानकारी होने के कारण उक्त लोग गैंग बनाकर एनसीआर क्षेत्र में लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देते हैं तथा लूटपाट की घटनाओं को करने के लिए मोटर साईकिलों का प्रयोग कर आने जाने वाले व्यक्तियों को अपना निशाना बनाकर उनसे चैन/मोबाईल/पर्स लूट की घटनाओं को अंजाम देते हैं।

दिनांक 02.05.19 की रात्रि को अभियुक्तगणों द्वारा होटल रेडिशन के पास ओला कैब को रोककर चालक को गन प्वाइंट पर लेकर मारपीट कर उससे लिनेवो टैब व 3000 रुपये लूटकर भाग गये थे।

उक्त अभियुक्तगण शातिर किस्म के अपराधी है यदि कोई व्यक्ति विरोध करता है तो उसे अस्लाह दिखाकर डराकर भाग जाते हैं। जिनके पूर्व अपराधिक इतिहास व अन्य घटनाओं के सम्बंध में जानकारी की जा रही है।

**बरामदगी का विवरणः—**

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1:— 01 डिस्कवर मोटर साईकिल | लूट की घटनाओं में प्रयुक्त                       |
| 2:— 01 एमआई मोबाईल फोन     | (सम्बन्धित अ0स0-1037 / 19 धारा 392 / 411 भादवि)  |
| 3:— 01 सैमसंग मोबाईल फोन   | (सम्बन्धित अ0स0-1352 / 18 धारा 392 / 411 भादवि)  |
| 4:— 01 लिनेवो टैब          | (सम्बन्धित अ0स0-1035 / 19 धारा 394 / 411 भादवि ) |

**अभियुक्तगणों का अपराधिक इतिहासः—**

क्र०	अ०स०	धारा	थाना	जनपद
1	1037 / 19	392 / 411 भादवि	इंदिरापुरम	गाजियाबाद
2	1352 / 19	392 / 411 भादवि	इंदिरापुरम	गाजियाबाद
3	1035 / 19	394 / 411 भादवि	इंदिरापुरम	गाजियाबाद

पसौंडा गांव में हुई हत्या में शामिल अभियुक्त इमरान मय मृतक युसुफ के मोबाईल फोन सहित गिरफ्तार:- दिनांक 06.05.2019 को सुबह पसौंडा से सिकन्दरपुर रोड पर 01 अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था जिसकी पहचान युसुफ उर्फ दिन्ना पुत्र यामीन के रूप में हुई थी जिस सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु०अ०सं० 988 / 2019 धारा 302 / 201 / 506 भादवि बनाम शाहरुख व इमरान के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था।

थाना सहिबाबाद पुलिस द्वारा दिनांक 09.05.2019 को समय 21.10 बजे भौपुरा मोड से हत्या में शामिल अभियुक्त इमरान को मय मृतक युसुफ के मोबाइल फोन सहित गिरफ्तार किया है।

अभियुक्त शाहरुख पुत्र नूर मौ० को दिनांक 09.05.2019 को मय आलाकत्ल चादर व बैगनार कार सहित गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :-

1- इमरान पुत्र मौ० रशीद नि० चौद मस्जिद पसौंडा थाना सा०बाद गा०बाद।

बरामदगी का विवरण:-

1- मृतक युसुफ उर्फ दिन्ना का मोबाईल फोन

पूछताछ का विवरण:-

मृतक युसुफ उर्फ दिन्ना पुत्र यामीन कुरैशी नि० पसौंडा थाना सा०बाद गा०बाद से पिछले काफी समय से अभियुक्त शाहरुख पुत्र नूर मौहम्मद से पैसों का लेन देन चल रहा था। अभियुक्त ने मृतक युसुफ उर्फ दिन्ना उपरोक्त से 20% की दर से 1,25,000 रु० ब्याज पर लिये थे। जिसका वह पिछले काफी समय से ब्याज दे रहा था। अब अभियुक्त उक्त ब्याज व रुपये के लिए मृतक युसुफ उर्फ दिन्ना उपरोक्त से मना कर रहा था किन्तु मृतक नहीं माना और कई बार इसी रुपये के लेन देन के ऊपर इन दोनों की आपस में कहा सुनी भी हुई थी। अभियुक्त शाहरुख उपरोक्त ने मृतक से पीछा छुड़ाने के लिए उसकी हत्या की योजना बनाई। इस काम के लिए अभियुक्त इमरान पुत्र नसीर नि० पसौंडा थाना सा०बाद गा०बाद ने शाहरुख के साथ मिलकर दिनांक 05.05.2019 को मृतक युसुफ उर्फ दिन्ना को पसौंडा पुलिया के पास स्थित शाहरुख की ई रिक्शा की पार्किंग में रुपये देने के बहाने से रात में लगभग 09.00 बजे फोन करके बुलाया तथा उसके आने पर उसे पानी में मिलाकर नींद की गोलियां पिला दीं जिससे वह बेहोश हो गया तथा शाहरुख ने साथी इमरान की मदद से बैटशीट (चादर) से मृतक उपरोक्त को गला घोटकर मार दिया तथा पार्किंग में खड़ी वेगनार गाड़ी नं० DL 8CAJ 3471 में मृतक के शव को रखकर सिकन्दरपुर रोड पर खाली जगह में फेंक आये थे।

**01 अभियुक्त, 01 अभियुक्ता गिरफ्तार, कब्जे से आला कत्ल बरामद :-** आज दिनांक 10-05-19 को थाना-मसूरी पुलिस द्वारा समय करीब 10:00 a.m. बजे IMS कालिज तिराहा डासन से मुकदमा 300 / 19 us 147/148/149/302/34/120 बी ipc थाना मसूरी से सम्बंधित 01 अभियुक्त इंद्रवीर s/o श्री प्रहलाद निवासी ग्राम-बहादरपुर, थाना-सरधना, जिला-मेरठ व 01 अभियुक्ता को मय स्कॉर्पियो गाड़ी नम्बर- UP14BX9009 के गिरफ्तार किया गया है मृतक विपिन की हत्या की घटना में प्रयुक्त एक तमंचा 315 बोर व 1 कारतूस जिंदा बरामद हुआ है

**03 शातिर अपराधियो से मु0अ0सं0 375/19 धारा 147/148/149/307/302 भादवि से सम्बन्धित आला कत्ल 02 तमन्चे 315 बोर मय 03 जिन्दा कारतूस02 खोखा कारतूस, 01 पिस्टल .32 बोर मय**

**02 कारतूस बरामद-** थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा आज दिनांक 10.05.2019 को मु0अ0सं0 375/19 धारा 147/148/149/307/302 भादवि से सम्बन्धित अभि0गण 1- मोती 2-अंकित 3- भानू को माननीय न्यायालय के आदेश से पुलिस कस्टडी रिमाण्ड पर लेकर अभियुक्तगण की निशादेही पर हत्या में प्रयुक्त 01 तमन्चा 315 बोर ,01 जिन्दा कारतूस,खोखा कारतूस,01 पिस्टल देशी .32 बोर ,02 जिन्दा कारतूस ,हत्या में प्रयुक्त 01 तमन्चा .315 बोर 02 जिन्दा कारतूस,1 खोखा कारतूस बरामद किया गया ।

अभियुक्तगणो की निशादेही पर बरामद उपरोक्त आला कत्ल बरामदगी के सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 445/19 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट बनाम भानू 2-मु0अ0सं0 446/19 धारा -25/27 आर्म्स एक्ट बनाम अंकित 3- मु0अ0सं0 447/19 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट बनाम मोती पंजीकृत किया गया है ।

**अभियुक्तगण का नाम पता:-**

- 1- मोती उर्फ अरुण पुत्र श्री सतवीर निवासी गली नं0 10 कृष्णाकुंज थाना मोदीनगर गा0बाद ।
- 2- अंकित पुत्र सतवीर नि0 गली नं0 10 कृष्णा कुंज थाना मोदीनगर गा0बाद ।
- 3- भानू पुत्र अजय जाट नि0 तिबडा रोड कृष्णा कुंज भूपेन्द्रपुरी थाना मोदीनगर गा0बाद

**बरामदगी आलाकत्ल:-**

- 1- मोती उर्फ अरुण -01 तमन्चा 315 बोर ,01 जिन्दा कारतूस .315 बोर, व खोखा कारतूस
- 2-अंकित -01 पिस्टल देशी .32 बोर व 02 जिन्दा कारतूस .32 बोर
- 3-भानू- 01 तमन्चा .315 बोर 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर व एक खोखा कारतूस .315 बोर